

प्रेषक,

मो० वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,

1. नगर पालिका परिषद नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी।
2. नगर पालिका परिषद उत्तरौला, जनपद-बलरामपुर।
3. नगर पालिका परिषद कायमगंज, जनपद-फर्रुखाबाद।
4. नगर पालिका परिषद शाहगंज, जनपद-जौनपुर।
5. नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर।
6. नगर पालिका परिषद देवबन्द, जनपद-सहारनपुर।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक ०७ मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषदों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2557/मु०का०/2023-24, दिनांक-26.02.2024, संख्या-2557/मु०का०/2023-24, दिनांक-26.02.2024, संख्या-449/आ०न०पा०परि०उत्त०/2023-24, दिनांक-08.02.2024, संख्या-1049/न०पा०परि०का०/2023-24, दिनांक-11.10.2023, संख्या-368/न०पा०परि०शा०/2023-24, दिनांक-16.02.2024, संख्या-371/न०पा०परि०शा०/2023-24, दिनांक-21.02.2024, संख्या-205/पं०दी०द०उ०न०वि०यो०/2023-24, दिनांक-22.02.2024, संख्या-949/न०पा०प०दे०/2022-23, दिनांक-06.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से क्रमशः नगर पालिका परिषद नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी, नगर पालिका परिषद उत्तरौला, जनपद-बलरामपुर, नगर पालिका परिषद कायमगंज, जनपद-फर्रुखाबाद, नगर पालिका परिषद शाहगंज, जनपद-जौनपुर, नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर एवं नगर पालिका परिषद देवबन्द, जनपद-सहारनपुर को पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं०-37 के अन्तर्गत क्रमशः धनराशि ₹० 103.41 लाख, ₹० 103.24 लाख, ₹० 109.22 लाख, ₹० 186.95 लाख, ₹० 77.73 लाख, ₹० 100.03 लाख एवं ₹० 60.17 लाख अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पालिका परिषद नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी, नगर पालिका परिषद उत्तरौला, जनपद-बलरामपुर, नगर पालिका परिषद कायमगंज, जनपद-फर्रुखाबाद, नगर पालिका परिषद शाहगंज, जनपद-जौनपुर, नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर एवं नगर पालिका परिषद देवबन्द, जनपद-सहारनपुर द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल

लागत धनराशि ₹0 740.75 लाख (रूपये सात करोड़ चालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि ₹0 171.73 लाख (रूपये एक करोड़ इकहत्तर लाख तिहत्तर हजार मात्र) अनुदान संख्या-37, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पालिका परिषद

अनुदान संख्या-37

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि/प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	आवंटित धनराशि	आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पालिका परिषद उत्तरोला, जनपद-बलरामपुर	18. मो0-सुभाषनगर वार्ड नं0-11 में शासजानी रोड तालीम अली बाग के गेट से नाला पुलिया तक सी0सी0 रोड का निर्माण एवं पुलिया पर पैरापेट वाल का निर्माण कार्य। 19. मो0-गांधीनगर वार्ड नं0-14 में 1-ईदागाह के पीछे से वृन्दावन होते हुए मिशन स्कूल के पीछे तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण। 2-ननकू के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण एवं इसके ऊपर स्लैब निर्माण कार्य। 20. मो0-गांधीनगर वार्ड नं0-14/10 मे बरबला के सामने मेन रोड से डा0 अलाउद्दीन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण, पुलिया पर पैरापेट वाल एवं नाली निर्माण कार्य। 21. मो0-आर्यनगर, वार्ड नं0-04 मे देवीप्रसाद श्रीवास्तव के घर से महेन्द्र प्रताप सिंह का घर होते हुए काशीराम कालोनी के मोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य एवं उसके आगे मेन रोड नाला तक नाली निर्माण कार्य।	17.55 26.50 26.56 32.63		
		योग	103.24	100.00	25.00
2	नगर पालिका परिषद कायमगंज जनपद-फरूखाबाद	1. शिवाला भवन गंगादरवाजा से लेकर मेन चौराहा तक डामरीकरण द्वारा सड़क एवं सी०सी० पटरी का निर्माण कार्य। 2. जामा मस्जिद से लेकर क्रय विक्रय समिति तक डामरीकरण द्वारा सड़क एवं सी०सी० पटरी का निर्माण कार्य। 3. पुलिया पुलगालिव से लेकर मुंशीफ़ी चौक तक डामरीकरण द्वारा सड़क एवं सी०सी० पटरी का निर्माण कार्य। 4. जूही शाह मजार से धूना तिराहा गंगा दरवाजे तक डामरीकरण का कार्य।	33.61 38.24 17.70 19.67		
		योग	109.22	100.00	25.00
3	नगर पालिका परिषद नवाबगंज जनपद-बाराबंकी	1. वार्ड आनंद विहार सुरेश श्रीवास्तव के मकान से अनिल श्रीवास्तव के मकान तक मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य। 2. वार्ड दशहरा के मो0 विजयनगर में काशीराम कालोनी से खाली प्लॉट तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य। 3. वार्ड दशहरा मो0 विजयनगर में लईक अहमद मकान से दुरी के क सोतीमार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य। 4. वार्ड लक्ष्मनपुरी भोहल्ला कार्तिक विहार कालोनी में आकांक्षा बुटीक से विवेक वर्मा के घर तक सीसी मार्ग व नाली का निर्माण कार्य। 5. वार्ड लक्ष्मनपुरी के मोहल्ला कार्तिक विहार के ईशा फार्मा से अनुज कुमार के घर तक सीसी मार्ग का निर्माण कार्य। 6. वार्ड लक्ष्मनपुरी के मोहल्ला कार्तिक बिहार के अन्दर रूचि वर्मा के घर से ईशा फार्मा तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य। 7. वार्ड मकदूमपुर के मोहल्ला शिवाजीपुरम में हरिवंश पाठक के मकान से राम खुधर बर्मों के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य। 8. वार्ड मकदूमपुर के मोहल्ला शिवाजीपुर में मुख्य मार्ग से राधाकृष्ण मन्दिर एक सी०सी० मार्ग नाली का निर्माण कार्य। 9. वार्ड मकदूमपुर के मोहल्ला शिवाजीपुरम में राम सुधर वर्मा के मकान से राम विलास वर्मा के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य। 10. वार्ड विकास भवन में मिरेकल व्यूटी पार्लर से सुनील जायसवाल के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य। 11. रेलवे स्टेशन के समीप टाउन एरिया बकी जाने वाले मार्ग पर शौचालय निर्माण का कार्य।	4.70 6.62 6.00 9.54 7.75 8.05 6.85 7.35 6.88 5.17 24.55		

		12. वार्ड मकदूमपुर शिवाजी पुरम/घनवतारि नगर में श्री केशन के मकान से जितेन्द्र बहादुर सिंह के मकान तक नाली व सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	9.95		
		योग	103.41	100.00	25.00
4	नगर पालिका परिषद शाहगंज जनपद-जौनपुर	1. मोहल्ला पुराना चौक में गोपाल मंदिर से रामलीला भवन चौराहा तक सड़क एवं नाली निर्माण।	38.79		
		2. मोहल्ला कलेक्टर गंज में राजन जायसवाल की दुकान से रेलवे गोदाम सीमा तक सड़क एवं नाली निर्माण।	11.99		
		3. मोहल्ला कलेक्टर गंज में आनन्द जायसवाल के गोदाम से मल्लू तबेला वाले के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण।	19.26		
		4. मोहल्ला भादी में सबेहुल हसन के मकान से आजमगढ़ मेन रोड तक सड़क एवं नाली निर्माण।	38.44		
		5. मोहल्ला शाहपंजा में पुष्कर ताला वाले के मकान से तुफेल के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण।	38.47		
		6. मोहल्ला पुराना चौक में बंके चौराहा से जौनपुर मेन रोड पर श्री राम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान तक सड़क एवं नाली निर्माण।	16.31		
		7. मोहल्ला चूडी मोहल्ला में राम पलट किराना की दुकान से राजकुमार के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण।	13.00		
		8. मोहल्ला कलेक्टर गंज में ओम प्रकाश तेल वाले से हरि नारायण अग्रहरि के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण।	10.69		
		योग	186.95	186.95	46.73
5	नगर पालिका परिषद शाहगंज जनपद-जौनपुर	1. नगर पालिका परिषद शाहगंज में जेसीज चौराहा से सुल्तानपुर रोड पर नगर पालिका सीमा तक जी०आई० पोल पर 120 वाट एल०ई०डी० लाईट से प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	26.61		
		2. नगर पालिका परिषद शाहगंज में जेसीज चौराहा से आजमगढ़ रोड पर नगर पालिका सीमा तक जी०आई० पोल पर 120 वाट एल०ई०डी० लाईट से प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	26.61		
		3. नगर पालिका परिषद शाहगंज में जेसीज चौराहा से जौनपुर रोड पर नगर पालिका सीमा तक जी०आई० पोल पर 120 वाट एल०ई०डी० लाईट से प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	24.51		
		योग	77.73	50.00	12.50
6	नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, जनपद-संतकबीरनगर	1. नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में वार्ड न० ग्यारह में मुख्य मार्ग से भागी के घर मार्ग पर रिटेनिंग वाल, सी०सी० मार्ग का निर्माण।	39.97		
		2. नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में वार्ड न० ग्यारह में मुख्य लिंक मार्ग विवेक के मकान मार्ग से धर्म के मकान मार्ग पर रिटेनिंग वाल, सी०सी० मार्ग का निर्माण।	39.89		
		3. नगर पालिका परिषद खलीलाबाद डीधा में बेचू के मकान से राम के मकान से राम के मकान मार्ग पर रिटेनिंग वाल, सी०सी० मार्ग का निर्माण।	20.17		
		योग	100.03	100.00	25.00
7	नगर पालिका परिषद देवबन्द, जनपद-सहारनपुर	1. मौ० फोलादपुरा में श्री त्रिपुर माँ बाला सुन्दरी देवी मन्दिर मेन गेट से डिवाइडर के बाई ओर पार्क के कोने तक सी० सी० सड़क निर्माण।	31.09		
		2. मौ० फोलादपुरा में श्री त्रिपुर माँ बाला सुन्दरी देवी मन्दिर मेन गेट से डिवाइडर के दाई ओर पार्क के कोने तक सी० सी० सड़क निर्माण।	29.08		
		योग	60.17	50.00	12.50
		कुल योग (नगर पालिका परिषद: अनुदान सं०-37)	740.75	686.95	171.73


नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी०एल०ए० व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

~

- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।
- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायगा।
- (10) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या- 227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) निष्प्रायोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (14) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायगा।
- (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जाएगा।
- (17) 'सेंटेज चार्ज निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या- 02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।


- (18) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
 - (19) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय जाप संख्या - 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 - (20) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।
 - (21) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबन्धित अभियंता उत्तरदायी होंगे।
 - (22) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
 - (23) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि धनराशि की बचत होती है, उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - (24) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1,71,73,000 (रुपये एक करोड़ इकहतर लाख तिहतर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 037** लेखा शीर्षक **6215021920500** पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या- E-9-569-X-2023-24**, दिनांक-07 मार्च, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 वासिफ) 07.03.24
अनु सचिव।

संख्या-RF-69/2024/144/003-E-1795006, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, जनपद-बाराबंकी, बलरामपुर, फर्रुखाबाद, जौनपुर, संतकबीर नगर एवं सहारनपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
9. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
10. पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

अज्ञि से,

(मो0 वासिफ) 07.03.24
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-07/03/2024

प्रेषण संख्या:- RF69
आवंटन आदेश संख्या:- 001-RF69-2024-144-003-E-1795006
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	सहारनपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1250000 20160500	1250000 20160500
2	फर्रुखाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
3	जौनपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5923000 5923000	5923000 5923000
4	बाराबंकी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
5	बलरामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
6	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 19226000	2500000 19226000
	योग	वर्तमान प्रगामी	17173000 52809500	17173000 52809500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ इकत्तर लाख तिहत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ अठाईस लाख नौ हजार पाँच सौ


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव